विलोपित विलोपित

279

माननीय मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2015 नि0/3106/II/15

1 हरदास कुश्वाह पुत्र श्री डोमा काछी
आयु 75 वर्ष व्यवसाय कृषि

2 गुट्टे कुश्वाह पुत्र श्री डोमा काछी
आयु 67 वर्ष व्यवसाय कृषि

3 हल्के भईयन पुत्र श्री डोमा काछी
आयु 66 वर्ष व्यवसाय कृषि

निवासीगण ग्राम घुवारा तहसील बडा
मल्हरा जिला छतरपुर म0 प्र0

.....**आवेदक** / रेस्पोंडेट क्र 1 लगायत 3

बनाम

1 मझलईया कुश्वाह पुत्र श्री डोमा काछी
आयु 72 वर्ष व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम
घुवारा तहसील विजावर हाल बडा
मल्हरा जिला छतरपुर म0 प्र0

.........**अनावेदक / अपीलार्थी**

2 दम्मू कुश्वाह पुत्र स्व0 श्री माहेन कुश्वाह
आयु 52 वर्ष व्यवसाय कृषि

3 हरप्रसाद पुत्र श्री नन्ना काछी
आयु 66 वर्ष व्यवसाय कृषि

4 मनोहर काछी पुत्र स्व0 श्री नन्ना
आयु 52 वर्ष निवासीगण ग्राम घुवारा
तहसील विजावर हाल बडा मल्हरा

2

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 31/08/2015 राजस्व प्रकरण क्रमांक 174/अपील/13–14 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग बडा मल्हरा जिला छतरपुर

श्रीमान महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्नांकित प्रस्तुत है–

प्रकरण के तथ्य–

1 यहकि, अनावेदक क्र0 1/अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील अन्तर्गत धारा 44(1) मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत कर नामान्तरण पंजी क्र0 19/82–83 में पारित आदेश दिनांक 24/04/1983 को चुनौती इस आधार पर दी कि उपरोक्त भमि पर नामान्तरण की जानकारी उसे दिनांक 22/05/2013 को सर्व प्रथम हुई जिसके आधार पर अपील प्रस्तुत की गई जिसमे स्वयं की 1/4 भाग का मालिक बताया गया।

2 यहकि, आवेदक एवं अनावेदकगण के पूर्वज यानि आवेदकगण की मॉ मुस रनिया बेबा डोमा काछी एवं अनावेदक क्र0 3 एवं 4 के पिता नन्ना काछी की सामलाती खाता क्र0 655 के खसरा क्र0 1717 रकवा 0.78, खसरा क्र0 2445/1 रकवा 0.22, खसरा क्र0 4445/2 रकवा 0.22, खसरा क्र0 2460/1 रकवा 0.40, खसरा क्र0 2460/2 रकवा 0.45, खसरा क्र0 2461 रकवा 0.10, खसरा क्र0 2462/2 रकवा 0.68, खसरा क्र0 2462/1 रकवा 0.47, खसरा क्र0 2692/1 रकवा 0.12, खसरा क्र0 2693/2 रकवा 0.

3

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

3

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3106-दो/2015 जिला छतरपुर हरदास विरूद्ध मझलईया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बडामलहरा जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 174/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 31-08-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 14-09-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

18/1/19

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

18.1.19

(आर.के. जैन)
सदस्य